

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(17)वित्त/आब/2003 पार्ट-।

जयपुर, दिनांक: ०५.०९.२०१६

आदेश

श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, जो सहायक आबकारी अधिकारी के रूप में आबकारी विभाग में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्त किये जाने संबंधी समसंख्यक आदेश दिनांक 17.11.2016 को जारी किया गया था।

कार्मिक विभाग एवं आयुक्त, आबकारी विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री महावीर प्रसाद शर्मा के विरुद्ध आदिनांक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,



(हृदयेश कुमार जुनेजा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.19/जन / 5/अनु./ आब/ 2010/34 दिनांक 13.04.2017 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारी की सेवानिवृत्त तिथि तक इनके विरुद्ध कोई भी जांच लम्बित/विचाराधीन नहीं होना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन] शासन सचिवालय, जयपुर-302005  
Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005  
Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:  
www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in